न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 53/2018 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2018/00075

1. केसर देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी जेठाराम जाति रेगर निवासी रेगरों का मोहल्ला, शिवबाड़ी, जिला बीकानेर।
2. रामी पुत्री सुरजाराम पत्नी गणेशाराम जाति रेगर निवासी खिंयेरा तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. आसकरण पुत्र सुरजाराम जाति रेगर निवासी रेगरों का मोहल्ला शिवबाड़ी बीकानेर।
2. पेमी पुत्री सुरजाराम पत्नी लालाराम जाति रेगर निवासी देसलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. सन्तोष देवी पत्नी मांगीलाल जाति रेगर निवासी पटेल नगर, जालंधर (पंजाब)।
4. चुन्नी पुत्री मांगीलाल जाति रेगर निवासी पटेल नगर जालंधर (पंजाब)।
5. गीता पुत्री शान्ति
6. मोहनलाल पुत्र शान्ति
7. छोटूलाल पुत्र शान्ति
8. सुनीता पुत्री शान्ति

   } पिसरान रामेश्वर जाति रेगर निवासीगण वार्ड नं. 8 पालवास रोड़, सीकर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनकरणसर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार भादाणी — अभिभाषक अपीलांट
श्री जयचंद लाल सारस्वत — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 4
एकपक्षीय कार्यवाही — रेस्पोडेन्ट सं. 2, 5 ता 8

निर्णय

दिनांक 14.08.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के आदेश दिनांक 20.11.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित भूमि ग्राम खिलेरियां तहसील लूनकरणसर में खसरा नंबर 149 मिन में 36 बीघा खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि अपीलांट्स के पिता सुरजाराम

के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। सुरजाराम की मृत्यु हो जाने पर उक्त विवादित भूमि का तहसीलदार लूनकरणसर ने विरासतन इंतकाल संख्या 422 दिनांक 09.07.1999 को भीखी बेवा सुरजाराम, मांगीलाल, आसकरण व पेमी पिसरान सुरजाराम के नाम दर्ज कर दिया। उक्त इंतकाल संख्या 422 के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– अभिभाषक अपीलांट ने मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम तथा शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील को अन्द मियाद शुमार किया जाता हैं।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित भूमि ग्राम खिलेरियां तहसील लूनकरणसर के खसरा नंबर 149 के 36 बीघा अपीलांट्स के पिता सुरजाराम की खातेदारी कृषि भूमि है। सुरजाराम की मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि का इंतकाल नंबर 422 केवल भीखी पत्नी सुरजाराम, मांगीलाल, आसकरण, पेमी पिसरान सुरजाराम के नाम से दर्ज किया गया जबकि केशर देवी व रामी देवी, शांति देवी पुत्रियां सुरजाराम की थी, उनका नाम भी उपरोक्त इंतकाल में बतौर सुरजाराम के वारिसान दर्ज किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना नोटिस व सूचना दिये अपील को अन्दर मियाद स्वीकार की है, इससे स्पष्ट है कि इंतकाल दर्ज करते समय अपीलांट्स को नही सुना गया। उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक किसी भी खातेदार की मृत्यु पश्चात् उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी स्वतः ही उसके स्वामी हो जाते है। अपीलांट्स भी सुरजाराम की पुत्रियां थी और प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी थी। इन सभी तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने माइण्ड एप्लाई नहीं किया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एकतरफा तौर पर पारित किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर सभी पक्षकारों को सुनवाई का मौका देकर अपील रिमाण्ड फरमाई जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया हैं –

- आर.आर.डी. 1994 पेज 217
- आर.आर.डी. 1995 पेज 113
- आर.आर.डी. 2011 पेज 276
- आर.आर.टी. 2020 (2) पेज 792

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 4 ने दौराने बहरा कथन किया कि सुरजाराम की मृत्यु उपरांत ग्राम खियेरां, अलोदा व खिलेरियां की कृषि भूमि का विरासतन इंतकाल दिनांक 09.07.1999 को दर्ज हो गया। उक्त इंतकाल के दर्ज होने के 18–19 वर्ष बाद इसकी जानकारी होना, मिथ्या कथन है। ग्राम खियेरा व अलोदा की भूमि का बेचान पूर्व में ही किया जा चुका है। अपील मात्र एक गांव की भूमि बाबत पेश की गई है। उक्त इंतकाल पारिवारिक बंटवारा व सहमति से हक त्याग के बाद दर्ज हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में जिन तथ्यों का उल्लेख किया हैं, वे न्यायोचित हैं। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, न्यायिक दृष्टांत तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपीलाधीन इंतकाल संख्या 422 दिनांक 09.07.1999 ग्राम खिलेरियां में स्थित भूमि से संबंधित विरासतन दर्ज इंतकाल है, उक्त अपीलाधीन इंतकाल के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने अपीलांट द्वारा ग्राम खियेंरा व अलोदा की कृषि भूमि के बारे में अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही करने का संदर्भ देकर अपील खारिज कर दी है, जो उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपीलांट द्वारा स्वयं को सुरजाराम की पुत्रियां बताते हुए अपीलाधीन इंतकाल खारिज करने की अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलाधीन इंतकाल संख्या 422 के तथ्यों का विवेचन किये बिना खारिज कर दिया, जो उचित नहीं है। अतः अपीलाधीन इंतकाल संख्या 422 दिनांक 09.07.1999 व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2017 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार लूनकरणसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि मृत्तक सुरजाराम के समस्त वारिसान की जांच कर एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5– तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर